न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 547 / 2024

अनवान : –

1. ओमी पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामजीलाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल निवास ललानाबास नथवानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. हरकौरी पुत्री रामस्वरूप पत्नी सोहनलाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल निवास ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र मामराज जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रामचन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. बलाराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. सावित्री पुत्री रामस्वरूप पत्नि आत्माराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल निवास ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. उप पंजियक रामगढ़ तहसील नोहर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादीगण**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 30/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रौही मौजा चक 9 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता संख्या 83 / 77 पत्थर नम्बर 390 / 467 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 16 / 1 की 0.1010 हैक्टेयर व किला नम्बर 25 की 0.2530 हैक्टेयर पत्थर नम्बर 391 / 467 मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 20 की 0.2530 हैक्टेयर व किला नम्बर 21 की 0. 2530 हैक्टेयर कुल तादादी 0.8600 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार जो मिताक्षरा हिन्दू विधि से शास्ति है तथा उपरोक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि व दालाई सम्पति वादीगण के दादा मामलाल पुत्र गोधूराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर के समय की पुरानी खातेदारी भूमि है तथा उक्त पैतृक कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 का पैदायशी हक है।

उपरोक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की ... कृषि भूमि वाद फौतगी मामराज पुत्र गोधुराम जो पैतृक कृषि भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ...स्वरूप के हिस्सा में ... उसमें से ज्यादा भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्वरूप द्वारा फरोख्त कर दी तथा उसके नाम बतौरकर्ता संयुक्त हिन्दू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर

परिवार निम्न पैतृक कृषि भूमि शेष बची है आराजी जरई वाके रौही मौजा चक 9 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता संख्या 83/77 पत्थर नम्बर 390/467 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 16/1 की 0.1010 हैक्टेयर व किला नम्बर 25 की 0.2530 हैक्टेयर पत्थर नम्बर 391/467 मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 20 की 0.2530 हैक्टेयर व किला नम्बर 21 की 0.2530 हैक्टेयर कुल तादादी 0.8600 हैक्टेयर कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि में वादीगण नंबर1 व 2 तथा प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 पांचो प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ बहिस्सा बराबर के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा इसी आशय की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि वाके रौही मौजा चक 9 जीजीएम. तहसील नोहर के खाता संख्या 83/77 कुल तादादी 0.8600 हैक्टेयर जिसका पुरा विवरण अर्जीदावा की मद नम्बर 4 में दर्ज है, में वादीगण नम्बर 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 छहो बहिस्सा बराबर के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है मगर हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम बतौरकर्ता संयुक्त खानदान गल्त दर्ज है जिससे प्रतिवादी नम्बर 1 उक्त भूमि फरोख्त करने की योजना बना रहा है जिससे वादीगण के खातेदारी हकूक का हनन होता है तथा वादीगण अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करा वादग्रस्त भूमि में वादीगण नम्बर 1 व 2 अपने आपको व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 छहो बहिस्सा बराबर के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकरिणी है। तथा यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रुस्तत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:09 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सु[illegible] दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उपरोक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक [illegible] भूमि [illegible] फौलदगी मामराज पुत्र गोधुराम जो पैतृक कृषि भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्व[illegible] के हिस्सा में आई उसमें से ज्यादा भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्वरूप द्वारा फरोख्त कर दी तथा उसके नाम बतौरकर्ता संयुक्त हिन्दू

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

परिवार निम्न पैतृक कृषि भूमि शेष बची है आराजी जरई वाके रौही मौजा चक 9 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता संख्या 83/77 पत्थर नम्बर 390/467 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 16/1 की 0.1010 हैक्टेयर व किला नम्बर 25 की 0.2530 हैक्टेयर पत्थर नम्बर 391/467 मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 20 की 0.2530 हैक्टेयर व किला नम्बर 21 की 0.2530 हैक्टेयर कुल तादादी 0.8600 हैक्टेयर कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि में वादीगण नंबर1 व 2 तथा प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 पांचो प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ बहिस्सा बराबर के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा इसी आशय की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि वाके रौही मौजा चक 9 जीजीएम. तहसील नोहर के खाता संख्या 83/77 कुल तादादी 0.8600 हैक्टेयर जिसका पुरा विवरण अर्जीदावा की मद नम्बर 4 में दर्ज है, में वादीगण नम्बर 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 छहो बहिस्सा बराबर के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है मगर हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम बतौरकर्ता संयुक्त खानदान गल्त दर्ज है जिससे प्रतिवादी नम्बर 1 उक्त भूमि फरोख्त करने की योजना बना रहा है जिससे वादीगण के खातेदारी हकूक का हनन होता है तथा वादीगण अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करा वादग्रस्त भूमि में वादीगण नम्बर 1 व 2 अपने आपको व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 छहो बहिस्सा बराबर के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकरिणी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रौही मौजा चक 9 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता संख्या 83/77 पत्थर नम्बर 390/467 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 16/1 की 0.1010 हैक्टेयर व किला नम्बर 25 की 0.2530 हैक्टेयर पत्थर नम्बर 391/467 मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 20 की 0.2530 हैक्टेयर व किला नम्बर 21 की 0.2530 हैक्टेयर कुल तादादी 0.8600 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि वाद फौलदगी मामराज पुत्र गोधुराम जो पैतृक कृषि भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्वरूप के हिस्सा में आई उसमें से ज्यादा भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्वरूप द्वारा फरोख्त कर दी तथा उसके नाम बतौरकर्ता संयुक्त हिन्दू परिवार निम्न पैतृक कृषि भूमि शेष बची है आराजी जरई वाके रौही मौजा चक 9 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता संख्या 83/77 पत्थर नम्बर 390/467 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 16/1 की 0.1010 हैक्टेयर व किला नम्बर 25 की 0.2530 हैक्टेयर पत्थर नम्बर 391/467 मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 20 की 0.2530 हैक्टेयर व किला नम्बर 21 की 0.2530 हैक्टेयर कुल तादादी 0.8600 हैक्टेयर कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि में वादीगण नंबर1 व 2 तथा प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 पांचो प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ बहिस्सा बराबर के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा इसी आशय की घोषणा करवा पाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:09 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिकारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अत वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण स0 प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 को उक्त भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रौही मौजा चक 9 जी.जी. एम. तहसील नोहर के खाता संख्या 83/77 पत्थर नम्बर 390/467 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 16/1 की 0.1010 हैक्टेयर व किला नम्बर 25 की 0.2530 हैक्टेयर पत्थर नम्बर 391/467 मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 20 की 0.2530 हैक्टेयर व किला नम्बर 21 की 0.2530 हैक्टेयर कुल तादादी 0.8600 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ......30/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:09 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 547/2024

अनवान : –

1. ओमी पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामजीलाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल निवास ललानाबास नथवानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. हरकौरी पुत्री रामस्वरूप पत्नी सोहनलाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल निवास ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– **वादीगण**

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र मामराज जाति जाट साकिंन ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रामचन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. बलाराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. सावित्री पुत्री रामस्वरूप पत्नि आत्माराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल निवास ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. उप पंजियक रामगढ़ तहसील नोहर

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 547 सन 2024 निर्णय दिनांक 30/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रौही मौजा चक 9 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता संख्या 83/77 पत्थर नम्बर 390/467 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 16/1 की 0.1010 हैक्टेयर व किला नम्बर 25 की 0. 2530 हैक्टेयर पत्थर नम्बर 391/467 मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 20 की 0.2530 हैक्टेयर व किला नम्बर 21 की 0.2530 हैक्टेयर कुल तादादी 0.8600 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:09 IST
Reason: SelfAttested